



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-17/2018-974

दिनांक : 30/7/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधायें" योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान हेतु कुल **रु0 0.741/- (चौहत्तर हजार एक सौ रुपये)** मात्र अतिरिक्त राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का उप आवंटन आदेश संख्या 01/यो0बजट-17/2018-898 दिनांक 13.07.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा पूर्व में उप आवंटित राशि के अतिरिक्त

1 अकुशल मजदूर के लिए **0.741 लाख (चौहत्तर हजार एक सौ) रुपये** मात्र का उप आवंटन मजदूरी मद में किया जाता है ।

2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** के रूप में द्रष्टव्य है ।

3. पूर्व उप आवंटित राशि के यह अतिरिक्त उप आवंटन है । पूर्व उप आवंटन के सभी शीर्ष एवं शर्त यथावत रहेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापक- 01/यो0बजट-17/2018-974 दिनांक-30/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-17/2018-974 दिनांक- 30/7/18

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन प्रबंधन सुविधाएं योजना"
(जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार/कार्यालयवार कार्यरत
आकस्मिक मजदूरों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आकस्मिक मजदूर	आकस्मिक मजदूरों की सं०	प्राक्कलित राशि
i	ii	iii	iv	vi
कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास, झारखण्ड, राँची				
1	मुख्य वन संरक्षक, कार्मिक (राजपत्रित), झारखण्ड, राँची	iii अकुशल मजदूर	1	0.741
योग :-			1	0.741

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

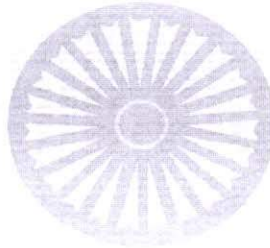
झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-17/2018/974

दिनांक - 30-Jul-2

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796150103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 15 - वन प्रबंधन सुविधायें 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : FOREST MANAGEMENT FACILITIES(0342) Central Scheme : NA	44536	DRNFWL208 MOHAN LAL CCF.PERSONNEL(GA ZETTED)JHA.RAN	74,100.00 रुपये चौहत्तर हजार एक सौ



74,100.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये चौहत्तर हजार एक सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (HARDO) RANCHI